PC-VI 233
RBE No. 154/2010

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2008/PN1/20 **New Delhi, Dated: 19 .10.2010.**

The GMs/FA&CAOs,
All Indian Railways/Production Units.
(As per mailing list)

Subject: Special benefits in cases of death and disability in service - payment of disability pension/family pension - regarding.

A copy of Department of Pension and Pensioners' Welfare (DOP&PW)'s O.M. No. 45/3/2008-P&PW(F) dated 30th September, 2010 on the above subject is enclosed for information and compliance. These instructions shall apply mutatis mutandis on the Railways also. CCS(Extraordinary Pension) Rules corresponds to Railway Services (Extra Ordinary Pension) Rules, 1993 and DOP&PW's O.Ms dated 3.2.2000, 1.9.2008 and 18.11.2008, referred to in the enclosed O.M., were circulated on the Railways vide this office letters number F(E)III/2000/PN1/16 dated 8.3.2000, F(E)III/2008/PN1/12 dated 8.9.2008 and letter of even number dated 25.11.2008 respectively.

2. Please acknowledge receipt.

Sreeram

(S. Sreeram)
Joint Director Finance(Estt.),
Railway Board.

DA: One.

संख्या 45/3/2008-पी. एवं पी.डब्ल्यू.(एफ)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, न.दिल्ली-110003.
दिनांक : 30 -9 -2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सेवाकाल में मृत्यु एवं नि:शक्तता के मामलों में विशेष लाभ – नि:शक्तता पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के भुगतान के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सीसीएस (ईओपी) नियमावली के तहत 1.1.2006 को पेंशन/कुटुम्ब पेंशन आहरित करने वाले पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2008-पी. एवं पी.डब्ल्यू.(ए) दिनांक 1.9.2008 के अनुसार संशोधित किया जाना है ।

2. सामान्य पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के लिए संस्वीकृत लाभों के अनुरूप, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (असाधारण पेंशन) नियमावली/उदारीकृत पेंशन पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए विगत एवं वर्तमान पेंशनभोगियों के बीच आशोधित समानता के प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है । इस समय, यह निर्णय लिया गया है कि इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 2006 से पूर्व पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों का संशोधन निम्नानुसार किया जाएगा -

(क) 2006-पूर्व पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के पिछले मामलों को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/2008-पी. एवं पी.डब्ल्यू.(ए) दिनांक 1.9.2008 के पैरा 4.1 के तहत संशोधित किया जाएगा, जैसे कि अब तक किया जाता रहा है तथा इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के आधार पर संशोधित पेंशन का निर्धारण किया गया ।

(ख) पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का भी परिकलन निम्नलिखित प्रक्रिया को लागू करते हुए 1.1.2006 से किया जाएगा :

I ख एवं ग श्रेणियों के लिए पारिवारिक पेंशन

(क) जहां दिवंगत सरकारी सेवक पेंशनयोग्य पद धारण किए हुए नहीं था :

एचएजी तथा अधिक के मामले में संशोधित वेतनमान में वेतन बैंड + ग्रेड वेतन/न्यूनतम मूल वेतन में वेतन के न्यूनतम का 40%, जो 1.1.2006 से लागू है, जो कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप, बशर्ते कि न्यूनतम रु. 4550/-

(ख) जहां दिवंगत सरकारी सेवक पेंशनयोग्य पद धारण किए हुए थे : एचएजी तथा अधिक के मामले में संशोधित वेतनमान में वेतन बैंड + ग्रेड वेतन/ मूल वेतन में वेतन के न्यूनतम का 60%, जो 1.1.2006 से लागू है, जो कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप, न्यूनतम रुपये 7,000/-

जहां विधवा की मृत्यु हो जाती है या वह पुन: विवाह करती है तो ऐसे मामले में, बच्चों को, लागू अनुसार, उक्त (क) या (ख) में उल्लिखित दरों पर, कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाएगा तथा वही दर पितृहीन/मातृहीन बच्चों के लिए भी लागू होगी । इन दोनों ही मामलों में, बच्चों को ऐसी अवधि, जिसके दौरान वे सीसीएस/पेंशन नियमावली के तहत् कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होंगे, के लिए पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा । आश्रित माता-पिताओं/भाईयों/बहनों आदि को विधवाओं/पितृहीन या मातृहीन बच्चों के लिए लागू आधी दर पर कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाएगा ।

II. घ एवं ड. श्रेणियों के तहत कुटुम्ब पेंशनों

कुटुम्ब पेंशन का परिकलन कर्मचारियों द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप, 1.1.2006 से लागू, एचएजी तथा अधिक के मामले में संशोधित वेतनमान में वेतन बैंड + ग्रेड वेतन/न्यूनतम मूल वेतन में वेतन के न्यूनतम के रूप में किया जाएगा ।

(क) यदि सरकारी सेवक की विधवा जीवित नहीं है, परन्तु केवल बच्चा/बच्चे ही जीवित हैं, तो उस स्थिति में, सभी बच्चे एक-साथ कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप, 1.1.2006 से लागू, एचएजी तथा अधिक के मामले में संशोधित वेतनमान में वेतन बैंड + ग्रेड वेतन/न्यूनतम मूल वेतन में वेतन का न्यूनतम का 60% की दर पर कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते न्यूनतम रुपये 7000/- हो ।

(ख) जब सरकारी सेवक की अविवाहित या बच्चों रहित विधवा के रूप में मृत्यु हो जाती है, तो आश्रित पेंशन कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप, 1.1.2006 से लागू, एचएजी तथा अधिक के मामले में वेतन बैंड + ग्रेड वेतन/न्यूनतम मूल वेतन में वेतन के न्यूनतम का 75% की दर पर, आर्थिक स्थितियों के संदर्भ के बिना माता-पिता को, यदि दोनों माता-पिता जीवित हों तथा उनमें से किसी एक के जीवित रहने पर 60% की दर पर लागू होगी ।

III. ख एवं ग श्रेणियों के लिए नि:शक्तता पेंशन

(क) नि:शक्तता पेंशन में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप, 1.1.2006 से लागू, एचएजी तथा अधिक के मामले में संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन या वेतन बैंड + ग्रेड वेतन में वेतन का न्यूनतम वेतन का 50% के समान सेवा संबंधी अंश शामिल होगा, जिसे उस अनुपात में घटाया जाएगा, यदि कर्मचारी ने पूर्ण पेंशन के लिए अपेक्षित अर्हता सेवा + 100% नि:शक्तता के लिए, उसी न्यूनतम मूल वेतन के 30% के समान नि:शक्तता अंश नहीं है ।

(ख) 100% से कम नि:शक्तता के लिए, नि:शक्तता अंश को उसी अनुपात में घटाया जाएगा । नि:शक्तता पेंशन ऐसे मामलों में जहां स्थायी नि:शक्तता 60% से कम है, वहां अपंगता पेंशन (अर्थात् सेवा अंश + नि:शक्तता अंश का कुल योग) वेतन बैंड + ग्रेड वेतन में वेतन का न्यूनतम का 60% से कम या एचएजी तथा अधिक के मामले में संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन, कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप कम नहीं होगी, बशर्ते कि रुपये 7000/- प्रतिमाह न्यूनतम के ।

IV. घ श्रेणी के लिए नि:शक्तता पेंशन

(क) नि:शक्तता पेंशन में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप 1.1.2006 से लागू, एचएजी तथा अधिक के मामले में, वेतन बैंड + ग्रेड वेतन मे वेतन का न्यूनतम का 50% / संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के समकक्ष सेवा अंश शामिल होगा, जिसमें आनुपातिक कमी होगी, यदि सेवानिवृत्ति की डीम्ड तिथि तक उसकी अर्हता सेवा पूर्ण अर्हता सेवा से कम हो तथा वेतन बैंड + ग्रेड वेतन में वेतन का उसी न्यूनतम का 30% / संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन के समकक्ष नि:शक्तता अंश हो, जो इस शर्त के अधीन है कि सेवा एवं नि:शक्तता अंश का कुल जोड़, 100% नि:शक्तता के लिए, कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप, 1.1.2006 से लागू, एचएजी एवं अधिक के मामले में, वेतन बैण्ड में वेतन का न्यूनतम का 80%/ न्यूनतम मूल वेतन से कम नहीं होगा ।

(ख) नि:शक्तता के निम्न प्रतिशत के लिए, आनुपातिक कमी कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/3/2008-पी. एवं पी.डब्ल्यू(एफ), दिनांक 18.11.2008 द्वारा यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3.2.2000 में यथाव्यवस्थित नि:शक्तता अंश में किया जाएगा ।

V. श्रेणी ड. के अंतर्गत मामलों के लिए नि:शक्तता पेंशन

(क) नि:शक्तता पेंशन में कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप, 1.1.2006 से लागू वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन में वेतन के न्यूनतम का 50% के समान सेवा अंश या एचएजी तथा अधिक के मामले में, संशोधन वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन शामिल होगा, जो यदि सेवानिवृत्ति की डीम्ड तिथि तक उसकी अर्हता सेवा पूर्ण अर्हता सेवा से कम होती है, तो आनुपातिक कमी के अधीन होगा तथा वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन में वेतन में उसी न्यूनतम या एचएजी एवं अधिक के मामले में संशोधित वेतन में न्यूनतम मूल वेतन के समान नि:शक्तता अंश, जो कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप, 100% नि:शक्तता के लिए इस शर्त के अधीन कि कुल सेवा एवं नि:शक्तता अंश वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन में वेतन के न्यूनतम/संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मूल वेतन, एचएजी तथा अधिक के मामले में, 1.1.2006 से लागू 60% नि:शक्तता के लिए, कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप से अधिक नहीं होगा ।

इस शर्त के साथ कि सेवा तथा नि:शक्तता अंश का कुल योग, एचएजी एवं अधिक के मामले में, 1.1.2006 से लागू, कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम वेतनमान के तदनुरूप, 100% नि:शक्तता के लिए - 1.7.2009 से आहरित रहा, वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन/संशोधित वेतनमान में न्यूनम मूल वेतन से अधिक नहीं होगा ।

(ख) नि:शक्तता के न्यून प्रतिशत के लिए, आनुपातिक कमी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3.2.2000 कार्यालय ज्ञापन सं. 45/3/2008-पी. एवं पी.डब्ल्यू.(एफ) दिनांक 18.11.2008 के द्वारा यथासंशोधित में की गई व्यवस्था के अनुसार नि:शक्तता अंश में की जाएगी ।

3. उक्त (क) एवं (ख) में उल्लिखित पद्धतियों के अनुसार संशोधित पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का परिकलन कर लिए जाने के पश्चात्, दोनों से उच्चतर को 1.1.2006 से संशोधित पेंशन के अनुसार प्रदान किया जाएगा ।

4. कार्यालय ज्ञापन सं. 45/3/2008-पी. एवं पी.डब्ल्यू(एफ) दिनांक 18.11.2008 द्वारा यथा संशोधित, दिनांक 3.2.2000 के कार्यालय ज्ञापन की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी ।

5. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग यू.ओ.सं. 403/ईवी/2010 दिनांक 28.7.2000 की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

6. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श के पश्चात् जारी किए गए हैं ।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी. घोष)
निदेशक
दूरभाष : 24624802

सेवा में,

मानक डाक सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :

राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारतीय उच्च न्यायालय, सी. एंड एजी, संघ लोक सेवा आयोग आदि मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार ।

No.45/3/2008-P&PW (F)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi-110003.
Dated 30th September, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Special benefits in cases of death and disability in service – payment of Disability Pension/Family pension – regarding.

The undersigned is directed to say that the pension of pensioner/family pensioners who were drawing pension/family pension as on 1.1.2006 under the CCS(EOP) Rules is to be revised in accordance with Department of Pension & Pensioners' Welfare Office memorandum No.38/37/2008-P&P&W(A) dated 1.9.2008.

2. The question of modified parity between past and present pensioners, covered under the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules/Liberalized Pensionary Award Scheme, on the lines of benefits sanctioned for ordinary pensioners/family pensioners, has been under the consideration of the Government. It has now been decided that the revision of pre-2006 pensioners/family pensioners coming under this category would be done as under:-

(A) The past cases of pre-2006 pensioners/family pensioners will be revised under Para 4.1 of this Department's OM NO. 38/37/2008-P&P&W (A) dated 1.9.2008 as is being done hithertofore and the revised pension on the basis of the provisions of this OM worked out.

(B) The pension/family pension shall also be calculated as on 1.1.2006 by applying the following procedure:

1. Family Pension for Categories B & C

(a) Where the deceased Government servant was not holding a pensionable post:

40% of minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay/minimum Basic Pay in the revised Scale of Pay in case of HAG and above, applicable from 1.1.2006, corresponding to the scale of pay last held by the employee, subject to a minimum of Rs.4550/-

(b) Where the deceased Government servant was holding a pensionable post:

60% of minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay/minimum Basic Pay in the revised Scale of Pay in case of HAG and above, applicable from 1.1.2006, corresponding to the scale of pay last held by the employee, subject to a minimum of Rs.7,000/-

In case where the widow dies or remarries, the children shall be paid family pension at the rates mentioned at (a) or (b) above, as applicable, and the same rate shall also apply to fatherless/motherless children. In both cases, family pension shall be paid to children for the period during which they would have been eligible for family pension under the CCS (Pension) Rules. Dependent parents/brothers/sisters etc. shall be paid family pension one-half the rate applicable to widows/fatherless or motherless children.

II. Family Pension under Categories D & E

Family pension shall be calculated as the minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay/minimum Basic Pay in the revised Scale of Pay in case of HAG and above, applicable from 1.1.2006, corresponding to the scale of pay last held by the employee.

(a) If the Government servant is not survived by his widow but is survived by child/children only, all children together shall be eligible for family pension at the rate of 60% of minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay/minimum Basic Pay in the revised Scale of Pay in case of HAG and above, applicable from 1.1.2006, corresponding to the scale of pay last held by the employee, subject to a minimum of Rs. 7000/-

(b) When the Government servant dies as a bachelor or as a widower without children, dependent pension will be admissible to parent without reference to pecuniary circumstances, at the rate of 75% of minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay/minimum Basic Pay in case of HAG and above, applicable from 1.1.2006, corresponding to the scale of pay last held by the employee, if both parents are alive, and at the rate of 60% if only one of them is alive.

III. Disability Pension for Categories B & C

(a) Disability pension would comprise of a service element equal to 50% of minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay or the minimum Basic Pay in the revised Scale in case of HAG and above, applicable from 1-1-2006, corresponding to the scale of pay last held by the employee, to be reduced proportionately, if the employee did not have required qualifying service for full pension, plus disability element equal to 30% of the same minimum basic pay, for 100% disability.

(b) For disability less than 100%, disability element shall be reduced proportionately. In cases of disability pension where permanent disability is not less that 60%, the disability pension (i.e. total of service element plus disability element) shall not be less than 60% of the minimum of pay in the Pay Band plus Grade Pay or the minimum basic pay in the revised Scale of pay in case of HAG and above, corresponding to the scale of pay last held by the employee, subject to a minimum of Rs. 7000/- per month.

IV. Disability Pension for Category D

(a) Disability pension would comprise of a service element equal to 50% of minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay/minimum Basic Pay in the revised Scale of Pay in case of HAG and above, applicable from 1.1.2006, corresponding to the scale of pay last held by the employee subject to proportionate reduction in case his qualifying service up to the deemed date of retirement falls short of full qualifying service and disability element equal to 30% of the same minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay/minimum Basic Pay in the revised Scale of Pay, subject to the condition that the aggregate of service and disability element shall not be less than 80% of the minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay/minimum Basic Pay, in case of HAG and above, applicable from 1.1.2006, corresponding to the scale of pay last held by the employee, for 100% disability.

(b) For lower percentage of the disability, proportionate reduction would be made in disability element as provided in OM dated 3.2.2000 as amended vide O.M. No.45/3/2008-P&PW (F) dated 18.11.2008

V. Disability Pension for Cases under Category E

(a) Disability pension would comprise of a service element equal to 50% of minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay or the minimum Basic pay in the revised Scale of pay in case of HAG and above applicable from 1-1-2006, corresponding to the scale of pay last held by the employee subject to proportionate reduction in case his qualifying service upto deemed date of retirement falls short of full qualifying service and disability element equal to the same minimum of pay in the Pay Band plus Grade Pay or the minimum Basic Pay in the revised Scale of Pay in case of HAG and above, corresponding to the scale of pay last held by the employee, for 100% disability subject to the condition that the aggregate of service and disability elements shall not exceed the minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay/minimum Basic Pay in the revised Scale of Pay, in case of HAG and above, applicable from 1.1.2006, corresponding to the scale of pay last held by the employee, for 100% disability.

The condition that the aggregate of service and disability elements shall not exceed the minimum of Pay in the Pay Band plus Grade Pay/minimum Basic Pay in the revised Scale of Pay, in case of HAG and above, applicable from 1.1.2006, corresponding to the scale of pay last held by the employee, for 100% disability-stands withdrawn w.e.f. 1.7.2009.

(b) For lower percentage of the disability, proportionate reduction would be made in disability element as provided in OM dated 3.2.2000 as amended vide O.M. No.45/3/2008-P&PW (F) dated 18.11.2008.

3. After the revised pension/family pension has been calculated in accordance with the methods indicated in (A) & (B) above, the higher of the two shall be granted as revised pension w.e.f. 1.1.2006.

4. All other terms and conditions in the O.M. dated 3.2. 2000, as amended vide O.M. No.45/3/2008-P&PW (F) dated 18.11. 2008 shall remain unchanged.

5. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure U.O. No.403/EV/2010 dated 28.7.2010.

6. In so far as persons belonging to the Indian Audit & Accounts Department, these orders issue after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

(Tripti P Ghosh)
Director
Tele: 24624802

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.